


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ५39]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2015/भाद्र 10, 1937

No. 539]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2015/BHADRA 10, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

सा. का. नि. 671(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010, की अनुसूची में सीमित विभागीय परीक्षा शीर्षक के अधीन, स्तंभ संख्या 12 में, उच्च श्रेणी लिपिक के पद के सामने क्रम संख्या 1 में प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“इन नियमों के आरंभ होने की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता सेवा का तीन वर्ष होना जारी रहेगा”

[फा.सं.1(5)/2015-का.III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उप खण्ड (I) में सं. सा.का.नि. 660 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यक द्वारा पश्चात्तवर्ती संशोधन किए गए:

(I) सा.का.नि. 955 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2010

(II) सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2014

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Electronics and Information Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2015

G.S.R. 671(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, in serial number 1 against the post of Upper Division Clerk, in column number 12, under the heading Limited Departmental Competitive Examination, after the entries the following entry shall be inserted at the end, namely:—

“The eligibility service shall continue to be three years for Limited Departmental Competitive Examination in respect of persons holding the feeder posts on regular basis on the date of commencement of these rules”.

[F No. 1 (5)/2015-Pers.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i), vide number G.S.R. 660(E), dated the 6th August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) G.S.R. 955(E), dated the 7th December, 2010;
- (ii) G.S.R. 756 (E), dated 28th October, 2014.